न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिलकुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 07/2013

सुरजाराम आदि बनाम **तनसुखा आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 22.06.2018**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 0.14 हैक्टेयर गांव खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में अवस्थित है उक्त आराजी में प्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात बना रखे है तथा मय परिवार आबाद है। यह कि आराजी खसरा न 50 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह गांव खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में अवस्थित है उक्त कुए पर विधुत संबंध ले रखा है जो शामलाती है तथाउक्त कुउ का उपयोग प्रार्थीगण ही करते है।

यह कि आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 0.76 हैक्टेयर गांव खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में अवस्थित है जिसके 1/4 किस्से का खाता अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के नाम बना हुआ है तथा 1/4 हिस्से का खाता छोटुराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ के नाम से बना हुआ है, छोटूराम का देहांत हो चुका है परन्तु खाता विरासत के आधार पर छोटूराम के वारिसान के नाम नही बना हुआ है इस कारण छोटूराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है तथा 1/2 हिस्से का खाता अप्रार्थी संख्या1 के नाम बना हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 48 में मय परिवार आबाद है खसरा नम्बर 48 प्रार्थीगण का एक रास्ता खसरा नम्बर 49 की उत्तरी सीमा से सटकर है जो खसरा नम्बर 50 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे कटा हुआ नही है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 40 व 50 में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। इस कारण खसरा नम्बर 49 की उतरी सीमा सटकर 16 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व–पश्चिम है जो खसरा नम्बर 40 के पूर्वी – उत्तरी कौने में प्रवेश करता है उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया है उक्त रास्ते की भूमि 16 फीट चौडी व खसरा नम्बर 49 की पूरी उत्तरी सीमा से सटकर है जिसको रास्ते की भूमि राजस्व रिकार्ड में कटवाये जाने की प्रार्थना है तथा इसका अमल राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने कर प्रार्थना है।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 खसरा नम्बर 49 गांव खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ सीकर राज. में अवस्थित है के चातेदार है अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 49 में आने जाने के रास्ते को बंद किर दिया है तथा आवागमन नही करने देते है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते, कब्जे के खेत खसरा नम्बर 40 व 50 में आवागमन बंद हो गया है। अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 40 व 50 में आवागमन में 16 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बी 49 की उतरी सीमा पास पूर्व –पश्चिम खसरा नम्बर 50 व 40 में प्रवेश करने के लिये रास्ता दिलवाये जाने की प्रार्थना है जिससे प्रार्थीगण अपने आवासीय परिसर जो खसरा नम्बर 48 में बने हुये है से चलकर खसरा नम्बर 49 में प्रवेश कर सकें तथा खसरा नम्बर 40 व 50 में प्रवेश कर सके तथा खसरा नम्बर 40 व 50 मे प्रवेश कर सकें व आवागमन कर सकें।

यह कि प्रार्थना पत्र के साथ एक ब्ल्यू प्रिंट नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें रास्ते को दिखाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाये जाने की कृपा करे जिससे प्रार्थ्ज्ञीगण को आवागमन का अधिकार प्राप्त हो सकें व अपने खेत खसरा नम्बर 50 व 40 में ट्रेक्टर, उंट गाड़ी, पशुधन आदि ला ले जा सकें व काश्त कर सकें।

यह कि रास्ता बंद होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण को आवागमन के आधार पर रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है उक्त रास्ते का उपयोग पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज करते थे वर्तमान में प्रार्थीगण करते आ रहे है परन्तु अप्राथीगण ने बदनियती पूर्व पिछले एक सप्ताह से प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है व आवागमन बंद कर दिया है व रास्ता मौके पर मौजूद है परन्तु खसरा नम्बर 48 की पश्चिमी सीमा पर उत्तरी–पश्चिमी कौने पर बंद कर दिया है व अवरोध डाल दिये है जिससे रास्ता में आवागमन बंद हो गया है। यह कि प्रार्थना पत्र दो रू. कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 48 से खसरा नम्बर 50 में प्रवेश के लिये व खसरा नम्बर 40 में प्रवेश के लिये खसरा नम्बर 49 में से 16 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 49 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व पश्चिम खसरा नम्बर 40 में आवागमन के लिये रास्ता दिलवाये जाने की कृपा करें। उपरोक्त आराजियात गांव खातीपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित है। खसरा नम्बर 49 में रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व ट्रेस नक्शा में अमल किये जाने की प्रार्थना है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 पर विधिवत तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ दिनांक 09.07.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 1.10.2013 को अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 6 व 8 कि कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आकर प्रार्थना–पत्र अ. आदेश 9 नियम 7 जा.दी. पेश किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण के अनापति जाहिर करने पर उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 6 व 8 के के खिलाफ दिनांक 09.07.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त की गई व जवाब प्रार्थना–पत्र का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ कि ओर से पत्रांक/199 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प जसरासर में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया जिसमें प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ कि ओर से प्रस्तुत पत्रांक/199 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा रिपोर्ट का भी गहनता से अवलोकन किया। साथ ही केम्प स्थल पर राज. पेराकार एवं पटवार हल्का से विवादित खसरान से संबंधित संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड मय नक्शा वास्ते अवलोकन हेतु तलब किया गया। कैम्प स्थल पर ही मज्में–आम से उक्त विवादित रास्ते के बारे में पूछताछ की गई। जिसके बाद कैम्प स्थल पर ही पुनः तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को पुनः स्पष्ट रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया जिस पर कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से पुनः रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक/रा.लो.अ./2018/381 दिनांक 22.06.2018 के द्वारा प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि ''आवेदक के ख.नं. 89, 90 के कटानी रास्ता लगता हुआ है। रास्ता अलग से प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं है। आवेदक के कटानी रास्ता ख.नं. 90 के लगता है तथा ख.नं. 100 की सीमा ख.नं. 89, 90 से सटी हुई है। रास्ता ख.नं. 90, 89 के कटानी रास्ता है। अतः प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है।'' जिससे यह प्रकरण आरटीए धारा 251(ए) का प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रस्तुत रिकॉर्ड व नक्शों के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में मौके पर प्रार्थी की रास्ता की मांग धारा 251(ए) आरटीए के अनुसार नहीं होने से अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जिसकी ताईद तलब राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों से होती है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता की मांग का पक्ष सबल नहीं है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को कैम्प कोर्ट जसरासर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– जसरासर